मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
वल्लभ भवन मंत्रालय–462004

क्रमांक 316/43/2024/अड़तीस   भोपाल, दिनांक 20/05/2024

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।

2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अशासकीय अनुदान प्राप्त/निजी अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय– राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के परिप्रेक्ष्य में जारी अध्यादेश के अनुसार जुलाई 2024 से स्नातक चतुर्थ वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के संबंध में।

संदर्भ– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी **Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes, December, 2022**

––0––

उपरोक्त विष्यान्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा **Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes** के लिए माह दिसम्बर 2022 में जारी दिशा निर्देश के के पृष्ठ कमांक 9 के बिन्दु कमांक 3.2.3 के अंतर्गत उल्लेखित बिन्दु "आवश्यक अधोसंरचना" के अनुरूप स्नातक चतुर्थ वर्ष (आनर्स) के पाठ्यक्रम का संचालन प्रदेश के समस्त शासकीय/अनुदान अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में तथा स्नातक चतुर्थ वर्ष (ऑनर्स विथ रिसर्च) पाठ्यकम का संचालन केवल ऐसे स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में किया जाए जिनमें कम से कम दो नियमित शिक्षक शोध निदेशक के रूप में पंजीकृत हों एवं इन महाविद्यालयों में संबंधित विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त शोध केन्द्र संचालित किये जा रहे हों।

उक्त निर्देशों का पालन करते हुए स्नातक चतुर्थ वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के परिप्रेक्ष्य में जारी अध्यादेश के अनुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जाए।

स्नातक चतुर्थ वर्ष में प्रवेश के लिए निर्देश

2. ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक चतुर्थ वर्ष (ऑनर्स) में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में स्नातक तृतीय वर्ष में 120 केडिट अर्जित करना होगा। ऐसे विद्यार्थियों को 7.5 CGPA की अनिवार्यता नही होंगी।

3. ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक चतुर्थ वर्ष (ऑनर्स विथ रिसर्च) में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, उन्हें 7.5 CGPA अर्जित करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही विद्यार्थी को स्नातक तृतीय वर्ष में 120 क्रेडिट अर्जित करना होगा।

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के परिप्रेक्ष्य में जारी अध्यादेश अनुसार विद्यार्थी द्वारा स्नातक चतुर्थ वर्ष (ऑनर्स) में निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने पर मेजर विषय में ऑनर्स की उपाधि प्राप्त कर सकेंगे।

5. इसी प्रकार विद्यार्थी द्वारा स्नातक चतुर्थ वर्ष (ऑनर्स विथ रिसर्च) में निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने पर मेजर विषय में ऑनर्स विथ रिसर्च की उपाधि प्राप्त कर सकेंगे।

स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु निर्देश

6. ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने स्नातक चतुर्थ वर्ष में निर्धारित क्रेडिट अर्जित कर उत्तीर्ण किया हो, उन्हें एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता होगी।

7. ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक तृतीय वर्ष के पश्चात् दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं उन्हें मेजर विषय में निर्धारित केडिट अर्जित करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित किया जाए।

20-5-24

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांकः 317/43 /2024 /अड़तीस भोपाल, दिनांक 20/05/2024

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. निज सहायक, कुलपति, समस्त शासकीय विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

20-5-24

अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग